

संख्या-359एसएम(1)/20-2-2012-राप्रविता/का।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जमापदी से प्राप्त करके अपनी संस्तुति सहित शासन को उपर्युक्त निर्धारित समय में उपलब्ध कराने का कार्य करें।

संलग्न-निरीक्षण हेतु निर्धारित मासिक।

आज्ञा से,

(नीलम आहलावाल)
विशेष सचिव

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक (1492)/सक/शिक्षा/प्रा०पा०/2012-13 लखनऊ दिनांक : 09 अक्टूबर, 2012
प्रतिलिपि-

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ० प्र०।

(हरि लाल पासी)
निदेशक

शासनादेश संख्या - 359 एम0एम0/20-2-2012, दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 का सलानक

विभिन्न प्रवक्तृगण द्वारा संचालित भाषाया प्राप्त अनुसूचित जाति ब्राह्मण प्राथमिक विद्यालयों की जांच धराए जाने संबंधी विचारित मानक प्रपत्र

[illegible]

समिति के सदस्यों के स्पष्ट नाम/पदनाम/हस्ताक्षर मुहर सहित

(संस्कृत)
 अथवा अथवा
 अथवा अथवा
 अथवा अथवा

1
2
3